[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 5) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2018

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2018 है ।

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कतिपय अधिक व्यय को चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से 2,86,44,20,255 रुपए का दिया जाना

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका कुल योग दो अरब, छियासी करोड़, चवालीस लाख, बीस हजार, दो सौ पचपन रुपए होता है, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए व्यय की गई रकम को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए संदत्त और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
	सिविल मंत्रालय		रु0	रु0	रु0
15	दूर-संचार विभाग	राजस्व	2,10,22,20,526	...	2,10,22,20,526
22	रक्षा पेंशन	राजस्व	....	14,65,728	14,65,728
	रेल मंत्रालय				
2	प्रकीर्ण व्यय	राजस्व	75,62,93,767	...	75,62,93,767
3	कार्यचालन व्यय-साधारण अधीक्षण और सेवाएं	राजस्व	...	11,02,690	11,02,690
4	कार्यचालन व्यय-स्थायी पथ की मरम्मत तथा अनुरक्षण और संकर्म	राजस्व	...	14,04,773	14,04,773
6	कार्यचालन व्यय-सवारी डिब्बे और माल डिब्बे की मरम्मत और अनुरक्षण	राजस्व	...	158	158
11	कार्यचालन व्यय-कर्मचारिवृंद कल्याण और सुखसुविधाएं	राजस्व	...	200	200
13	कार्यचालन व्यय- भविष्य निधि पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे	राजस्व	...	19,32,413	0,19,32,413
	योग		**2,85,85,14,293**	**59,05,962**	**2,86,44,20,255**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है, यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

पीयूष गोयल

MGIPMRND—1212LS(CRC)—31-07-2018.